आदेश

पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक–27.06.2016 को महानिदेशक पर्षद की बैठक में प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गये निम्न पुलिस अवर निरीक्षक को उनके नाम के सामने कंडिका–06 में अंकित तिथि से पुलिस निरीक्षक की कोटि में औपबंधिक रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए कंडिका–07 में अंकित जिला/इकाई में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है। प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा :–

क्रमांक	वरीयता क्रमांक	पु0अ0नि0 का नाम / जन्म तिथि गृहजिला	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि	प्रोन्नति के बाद पदस्थापन
1	2	3	4	5	6	7
	4366	इन्तेखाब अहमद 15.05.1969 सामान्य	किशनगंज	विशेष शाखा	12.08.16	विशेष शाखा

यह प्रोन्नति निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती है :–

1. नव प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध फौजदारी/अपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलों में प्रक्षेत्रादेश/क्षेत्रादेश/जिलादेश रोककर पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाएगा।
2. यदि नव प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक के सेवा अभिलेख में कोई त्रुटि पाई जायेगी तो आदेश को तद्नुसार संशोधित/रद्द किया जायेगा।
3. यदि किसी वरीय पुलिस अवर निरीक्षक का मामला पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में इस प्रोन्नत्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा रिक्ति के अनुसार कनीय को अवर निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
4. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार

22.8.16

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1425 /पी–1
04–09–12–2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 22.8.16

प्रतिलिपिः– अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाख/पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा/ पुलिस उप–महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक(अ), विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

22.8.16

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।